राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 /1777/ 2023 दिनांकः–/4 जून, 2023

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषयः नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की संकाय निर्धारण, विषय चयन, रोजगार परक / कौशल विकास के पाठ्यक्रम, अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम, लघु शोध परियोजना, परीक्षा व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में संस्तुति प्रेषित की गई है। उक्त संस्तुति के आधार पर आगामी सत्र की शैक्षिक व्यवस्था संचालित की जायेगी।

अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की संस्तुति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

14/6/23

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
02. समस्त संकायाध्यक्ष, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
03. समस्त संयोजक, अध्ययन समिति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
04. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं महाविद्यालय लॉगइन पर अपलोड किये जाने हेतु।
05. गार्ड फाइल।

सहा0 कुलसचिव

राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ

दिनांक 27 अगस्त 2022 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ द्वारा जारी शासनादेशों में संदर्भित ग्रेडिंग प्रणाली एवं अंक निर्धारण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संभावित प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रेषित किये गए थे। उक्त बिंदुओं के विषय दिनांक 29/05/2023 को विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ के सदस्यों की एक बैठक संयोजक प्रो. शुभनेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु विस्तार से चर्चा की गई, तत्पश्चात निम्न प्रस्ताव विश्वविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि विषय चुनाव, विषय परिवर्तन, ग्रेडिंग प्रणाली तथा परीक्षा व्यवस्था में महविद्यालय स्तर पर कोई त्रुटि न हो –

1. संकाय निर्धारण

शासनादेश संख्या- 1267/ सत्तर -3-2021-16(26)/2011 दिनांक 15/06/2021 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में इस विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों एवं संकायों का निर्धारण इस प्रकार है –

कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय	विज्ञान संकाय	भाषा संकाय	ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय	अन्य संकाय
रक्षा अध्ययन अर्थ शास्त्र शिक्षा शास्त्र भूगोल इतिहास दर्शन शास्त्र शारीरिक शिक्षा राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान समाज शास्त्र गृह विज्ञान	वनस्पति शास्त्र रसायन शास्त्र कंप्यूटर विज्ञान भूगर्भ विज्ञान गणित भौतिक विज्ञान सांख्यिकी जंतु विज्ञान	संस्कृत हिंदी अंग्रेजी	ललित कला संगीत गायन संगीत सितार संगीत तबला संगीत नृत्य नृत्य कला	विधि कृषि शिक्षक शिक्षा वाणिज्य प्रबंधन व्यावसायिक अध्ययन

शासनादेश संख्या- 1065/ सत्तर -3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20/04/2021 द्वारा शैक्षिक सत्र 2021 -22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के अनुसार न्यूनतम पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में लागू किया गया है। जिसमे प्रवेश के समय विषय चुनाव ,पाठ्यक्रम में प्रवेश ,निकास,डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गए हैं।

2. विषय चयन की व्यवस्था

विषय चयन की व्यवस्था निम्न प्रकार से रहेगी-

2.1. प्रथम वर्ष में विषयों का चुनाव

2.1.1. प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय, सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने संकाय (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान / विज्ञान/ भाषा / ललित कला एवं प्रदर्शन कला / अन्य संकाय) का चुनाव करेगा, यह उसका **"अपना संकाय"** कहा जायेगा |

2.1.2. तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, जिनमे से दो मुख्य विषय उसको चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है |

2.1.3. इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर विषय (Minor Elective) का चयन इस प्रकार करना होगा कि तृतीय विषय अथवा माइनर विषय में कम से कम एक, उसके अपने संकाय से न हो | यह विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में केवल एक सेमस्टर (प्रथम तथा तृतीय अथवा द्वितीय तथा चतुर्थ सेमस्टर) के लिए ही होगा |

2.1.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं.1-18/2019(CPP-II) दिनांक 15/04/2021 द्वारा NCC को एक चार क्रेडिट के माइनर विषय के रूप में मान्यता दी गयी है,अतः यदि कोई विद्यार्थी स्नातक स्तर के वर्षों में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पत्र अर्जित करता है, तो उसे एक माइनर विषय मान कर उसके चार क्रेडिट प्रदान किये जाएँगे |

2.1.5. इस प्रकार प्रथम वर्ष में छात्र के पास तीन मुख्य विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमस्टर में) अथवा N.C.C. (यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पात्र अर्जित कर सकता है, तो माइनर विषय के विकल्प के रूप में), एक अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम तथा एक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रति सेमस्टर होगा |

2.2. द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन एवं विषयों का चुनाव

2.2.1. द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमस्टर) में छात्र अपने माइनर विषय (Minor Elective) का पुनः चुनाव करेगा, जो प्रथम वर्ष वाला भी हो सकता है अथवा उससे भिन्न भी |

2.2.2. इस प्रकार द्वितीय वर्ष में छात्र के पास तीन मुख्य विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमस्टर में) अथवा N.C.C. (यदि विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पात्र अर्जित कर सकता है, तो माइनर विषय के विकल्प के रूप में), एक अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम तथा एक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रति सेमस्टर होगा |

2.3. तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन एवं विषयों का चुनाव

2.3.1. तृतीय वर्ष में छात्र आगामी अध्ययन के लिए प्रथम तीन मुख्य विषयों में से किन्ही भी दो का चुनाव कर सकते हैं बशर्ते उसने उन दोनों विषयों का प्रथम व द्वितीय वर्ष में मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो इसका अर्थ यह है कि छात्र तृतीय वर्ष में अपनी उच्च शिक्षा के लिए उन्ही दो मुख्य विषयों का चुनाव कर सकता है , जिसमे उसने प्रथम व द्वितीय वर्ष में मिलाकर 24 क्रेडिट्स अर्जित किये हों |

2.3.2. इस प्रकार तृतीय वर्ष में छात्र के पास दो मुख्य विषय, एक अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम प्रति सेमस्टर तथा एक लघु शोध परियोजना होगी |

2.3.3. तृतीय वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी भी एक विषय में स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा रहेगी |

2.3.4. इसके अतिरिक्त तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अपने मुख्य विषय में से किसी एक से सम्बंधित **एक लघु शोध परियोजना** भी तैयार करनी होगी, परन्तु CGPA में इसकी गणना नहीं की जाएगी |

2.4. स्नातकोत्तर स्तर पर विषयों का चुनाव

2.4.1. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के समय छात्र सर्वप्रथम अपने संकाय का निर्धारण करेगा यथा - कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, ललित कला एवं प्रदर्शन कला, अन्य संकाय, तत्पश्चात् प्रत्येक छात्र को अपने विषय के अतिरिक्त एक माइनर विषय किसी अन्य संकाय से चुनना होगा, जो चार क्रेडिट्स का तथा मात्र प्रथम सेमस्टर में ही पढ़ना होगा |

2.4.2. इस प्रकार अपनी शिक्षा के चतुर्थ वर्ष में छात्र के पास प्रथम सेमस्टर में एक मुख्य विषय तथा एक माइनर विषय होगा, परन्तु आगामी अन्य सेमस्टर में वह केवल अपने मुख्य विषय का ही अध्ययन करेगा | चतुर्थ व पंचम वर्ष में छात्र को एक-एक शोध परियोजना भी करनी होगी, जिसके आठ क्रेडिट्स उसके CGPA में जोड़े जायेंगे |

3. रोजगार परक /कौशल विकास (Vocational / Skill Development Courses) के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में

3.1. रोजगार परक पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं-

- Individual Nature - एक सेमस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम
- Progressive Nature - एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमस्टर के साथ बढ़ती जाएगी, परन्तु किसी भी सेमस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सकेगा |

3.2. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमस्टर) के प्रत्येक सेमस्टर में तीन क्रेडिट्स (कुल 3x4 = 12 क्रेडिट्स के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा |

3.3. विद्यार्थी अपनी पसंद तथा सुविधनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर उसे ऑनलाइन पोर्टल जैसे UGC, SWAYAM, MOOC's etc पर पूर्ण कर सकता है |

3.4. इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करअर्जित किये गए क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट को विद्यार्थी महाविद्यालय में जमा कराएँगे, जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथा स्थान पर जोड़ा जा सके |

3.5. ऑफलाइन कोर्सेज के लिए विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो भी रोजगार परक कोर्स संचालित हो रहे हों, उन्ही का चुनाव करना होगा |

3.6. महाविद्यालय इनके लिए अपने स्तर पर एक कौशल विकास प्रकोष्ठ का गठन कर सकता है, जिसका कार्य इन कोर्सेज को संचालित करने हेतु आवश्यक निर्णय लेना होगा |

4. अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Courses)

4.1. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों के कुल छह सेमस्टर में से प्रत्येक में एक सह-पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा , इन छह सेमस्टरों में निर्धारित सह-पाठ्यक्रम निम्न हैं-

- FIRST SEMESTER - FOOD NUTRITION AND HYGIENE
  भोजन, पोषण एवं स्वच्छता
- SECOND SEMESTER- FIRST AID AND HEALTH
  प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
- THIRD SEMESTER: HUMAN VALUES AND ENVIRONMENTAL STUDIES
  मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन
- FOURTH SEMESTER: PHYSICAL EDUCATION AND YOGAS
  शारीरिक शिक्षा और योग
- FIFTH SEMESTER: ANALYTIC ABILITY AND DIGITAL AWARENESS
  विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल जागरूकता
- SIXTH SEMESTER: COMMUNICATION SKILLS AND PERSONALITY DEVELOPMENT
  संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास

4.2. इन सभी सह-पाठ्यक्रम को न्यूनतम 40% प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है | विद्यार्थी की अंक तालिका पर इनके ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु इन्हे CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, परन्तु इन्हे उत्तीर्ण किये बिना विश्वविद्यालय द्वारा, विद्यार्थी को निकास करने पर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री उपाधि आवंटित नहीं होगी |

4.3. अनिवार्य सह पाठ्यक्रम की 75 अंको की बाह्य परीक्षा का सञ्चालन विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा |

4.4. इन सभी कोर्सेज का विस्तृत पाठ्यक्रम इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है –
http://learningmedia.in/up-univ-nep-syllabus-2020

5. लघु शोध प्रबंध / शोध परियोजना

5.1. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक वर्ष में (चतुर्थ एवं पंचम वर्ष) एक लघु शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी |

5.2. विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय में एवं चतुर्थ तथा पंचम वर्ष के मुख्य विषय में एक शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी | यह शोध परियोजना इंटर डिसिप्लिनरी भी हो सकती है अथवा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है |

5.3. शोध परियोजना एक शिक्षक मेंटर के निर्देशन में की जाएगी तथा इसमें एक अन्य शिक्षक को, जो किसी उद्योग, कंपनी अथवा तकनीकी संस्थान में कार्यरत हो, को-सुपरवाइजर के रूप में भी लिया जा सकता है |

5.4. विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमस्टर में की गयी शोध परियोजना की एक संयुक्त शोध परियोजना महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में जमा करेगा, जिसका मूल्याङ्कन वर्ष के अंत में विश्विद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक एवं आतंरिक परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंको में से किया जायेगा | अनुदानित अथवा शासकीय महाविद्यालयों में नियमित शिक्षक होने की दशा में सुपरवाइजर/ मेंटर ही आतंरिक परीक्षक होगा, परन्तु अन्य सभी महाविद्यालयों में आतंरिक परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नामित होगा |

5.5. शोध परियोजना का शीर्षक मेंटर द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में ही आवंटित कर दिया जायेगा | यह शोध परियोजना विभाग द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षक की देखरेख में, छात्र संख्या अधिक होने पर, चार से छह विद्यार्थियों के समूह बनाकर ,सामूहिक रूप से जमा की जाएगी | स्नातक स्तर पर महाविद्यालय द्वारा , परियोजना हेतु, दो में से के एक मुख्य विषय का चयन, छात्र संख्या के अनुपात में एकसमान रूप से किया जाना चाहिए | प्रत्येक समूह, प्रबंध की दो प्रति, वर्ष के अंत में, विभाग में जमा करेगा | सामूहिक रूप से जमा की गयी यह शोध परियोजना लगभग चालीस से पचास पृष्ठों की होगी | मौखिक परीक्षा (Viva Examinition) के आधार पर भिन्न -भिन्न विद्यार्थियों के अंक निर्धारण भिन्न -भिन्न हो सकते हैं | यह लघु प्रबंध प्रत्येक छात्र के लिए महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा |

5.6. स्नातक स्तर (तृतीय वर्ष) के विद्यार्थी की अंक तालिका पर शोध परियोजना के अंक तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें CGPA की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा |

5.7. स्नातक (शोध सहित) चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर पंचम वर्ष की शोध परियोजना के आठ क्रेडिट्स व ग्रेड CGPA की गणना में सम्मिलित किये जाएँगे |

5.8. तृतीय, चतुर्थ,एवं पंचम वर्ष में शोध परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य है ,इसे पूर्ण किये बिना विश्वविद्यालय द्वारा आगामी वर्ष में कक्षोन्नति नहीं की जाएगी |

6. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास, पुनः प्रवेश एवं EX- छात्र होने के प्रतिबन्ध

6.1. प्रत्येक छात्र को विषम सेमस्टर से सम सेमस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा, परन्तु इसके लिए विद्यार्थी ने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया हो, आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण की हो तथा निर्धारित आतंरिक तथा बाह्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो |

6.2. प्रथम से पंचम वर्ष तक आवश्यक कुल क्रेडिट्स तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट का वितरण इस प्रकार है -

वर्ष	कुल आवश्यक क्रेडिट्स	मुख्य विषयों के क्रेडिट्स
प्रथम	46/48	36
द्वितीय	46/48	36
तृतीय	40	40
चतुर्थ	52	40
पंचम	48	40

6.3. यदि छात्र द्वारा, वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स उपार्जित किये जाते हैं, तथा निर्धारित सह-पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40% अंको के साथ उत्तीर्ण कर लेता तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में **"PASS"** टिप्पणी द्वारा कक्षोन्नत किया जायेगा |

6.4. यदि छात्र द्वारा कुल आवश्यक क्रेडिट्स उपार्जित नहीं किये जाते हैं, तो कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये जाने पर ही, उसे उसे वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में **"BACK PROMOTED"** टिप्पणी द्वारा कक्षोन्नत किया जायेगा |

6.5. कोई भी विद्यार्थी वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में तब तक कक्षोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह विगत वर्ष के कुल क्रेडिट्स अर्जित नहीं कर लेता तथा सभी निर्धारित सह-पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40% अंको के साथ उत्तीर्ण नहीं कर लेता |

6.6. यदि विद्यार्थी बिंदु 6.3 अथवा बिंदु 6.4 प्रतिबन्ध पूर्ण नहीं करता, तो **"FAIL"** टिप्पणी के साथ **EX-STUDENT** होगा तथा वह आगामी वर्षों में सम्बंधित विषयों की पुनः परीक्षा देकर आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित कर सकता है।

6.7. विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकपत्रों में निम्न टिप्पणी दर्शायी जाएगी-

PROMOTED	**विषम सेमस्टर से सम सेमस्टर में प्रोन्नत** महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया हो, आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण की हो तथा निर्धारित आतंरिक तथा बाह्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो।
PASS PROMOTED	वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित किये हों तथा निर्धारित सह-पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40% अंको के साथ उत्तीर्ण कर चुका हो।
BACK PROMOTED	**प्रथम से द्वितीय वर्ष में -** कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये हों। **अन्य वर्षों में -** वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये हों। तथा विगत वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित किये हों तथा निर्धारित सह-पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40% अंको के साथ उत्तीर्ण कर चुका हो।
FAIL NOT PROMOTED	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों में EX-STUDENT

6.8. यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमस्टर का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क तो जमा करता है, लेकिन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होता, तो वह आगामी वर्षों में **EX-STUDENT** होगा। परन्तु यदि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही जमा नहीं कर पाता है, तो आगामी वर्षों में शुल्क जमा कर उसी सेमस्टर में पुनः नियमित प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

6.9. प्रथम वर्ष में निकास करने पर विद्यार्थी को "Certificate in Faculty", द्वितीय वर्ष में निकास पर "Diploma in Faculty" तथा तृतीय वर्ष में निकास पर "Degree in Faculty" प्रदान की जाएगी। इसके लिए छात्र द्वारा एक वर्ष में **न्यूनतम 46 क्रेडिट्स**, दो वर्ष में **न्यूनतम 92 क्रेडिट्स** तथा तीन वर्षों में **न्यूनतम 132 क्रेडिट्स** अर्जित करना तथा सभी वर्षों के अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम तथा अपने तृतीय वर्ष के लघु शोध परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य है।

6.10. कोई भी एक उपाधि पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष तथा स्नातक उपाधि पूर्ण करने की कुल अधिकतम अवधि नौ वर्ष है।

6.11. चतुर्थ वर्ष अर्थात "Bachelor of Research" तथा पंचम वर्ष अर्थात "Master in Faculty" उपाधि पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है तथा इसके लिए छात्र द्वारा चार वर्ष में **न्यूनतम 184 क्रेडिट्स** तथा पांच वर्ष में **न्यूनतम 232 क्रेडिट्स** अर्जित किये जाने चाहियें तथा लघु शोध परियोजना को पूर्ण करना अनिवार्य है।

6.12. **षष्टम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिए :** यह वर्ष उच्च शिक्षा का अंतिम वर्ष होगा जिसे पूर्ण करने पर **"स्नातकोत्तर उपाधि (शोध सहित)"** (Post Graduate Degree of Research) प्राप्त होगी।

- इस वर्ष प्रथम सेमस्टर अर्थात ग्यारहवे सेमस्टर में छात्रों को सम्बंधित विषय के दो पाठ्यक्रम (प्रति छह क्रेडिट्स) तथा एक चार क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम "Research Methodology" का अध्ययन करना होगा।
- इस प्रकार इस सेमस्टर में कुल अधिकतम 16 क्रेडिट्स अर्जित करने के पश्चात् छात्र, शोध की ओर अग्रसर हो जायेगा तथा अगले सेमस्टर से शोध प्रबंध व शोध प्रकिर्या प्रारम्भ करेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

7.1. थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा , **"क्रेडिट का सामान्य अर्थ है, एक सप्ताह में शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध समय (घंटे)"** अर्थात थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक सेमस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य करना होगा।

7.2. प्रैक्टिकल/ इंटर्नशिप/ फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का कार्य करना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना इस प्रकार की जाएगी-

HOURS OF THEORY + ½ (HOURS OF PRACTICAL /INTERNSHIP/FIELD WORK)

7.3. शब्द "ऑफर क्रेडिट" तथा "अर्जित क्रेडिट" अलग अलग रूप से प्रयुक्त होगा, विद्यार्थी को प्रवेश के समय सम्बंधित विषयों के क्रेडिट्स ऑफर तो होंगे, परन्तु वह उन क्रेडिट को तभी अर्जित करेगा, जब विषय की आवश्यक परीक्षा में स्नातक स्तर पर 33% प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण होकर ग्रेड अर्जित कर ले |

7.4. **क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण** - क्रेडिट्स सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या -1816/ सत्तर-3-2021 दिनांक 09/08/2021 के माध्यम से किये जाएँगे |

7.5. **क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् री-क्रेडिट की सुविधा-** यदि कोई छात्र एक वर्ष की शिक्षा के बाद 46 क्रेडिट्स का उपयोग कर, सर्टिफिकेट प्राप्त कर निकास कर जाता है, तो उसके क्रेडट्स खर्च मान लिए जाएँगे | यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह अपना मूल सर्टिफिकेट जमा कर 46 क्रेडिट्स अपने खाते में री- क्रेडिट करेगा | जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष के पश्चात् 92 (46+46) क्रेडिट्स अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है | यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है ,तो वह निकास के समय एक,दो,अथवा तीन वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा /डिग्री का पात्र होगा |

7.6. **संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं-** द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा तृतीय मुख्य विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएँगे न कि डिप्लोमा की , क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित करने होंगे |

7.7. **संकाय में डिग्री** - तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय के तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट्स 112 के 60 प्रतिशत अर्थात न्यूनतम 67 क्रेडिट्स प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे B.A./ B.Sc./B.Com. की उपाधि प्रदान की जाएगी तथा अंतिम वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी भी एक विषय में वह स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अर्ह होगा |

7.8. **बैचलर ऑफ़ लिबरल एजुकेशन- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय के तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट्स 112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट्स अर्जित नहीं कर पाता, तो वह बैचलर ऑफ़ लिबरल एजुकेशन डिग्री का पात्र होगा तथा वह उन्ही विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमे स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं होती | सामान्यतः इस श्रेणी में कला वर्ग के ऐसे विषय आएंगे, जिनमे प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है |**

7.9. यदि कोई विद्यार्थी अपने सर्टिफिकेट/डिप्लोमा के क्रेडिट्स, री-क्रेडिट्स कर आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गए क्रेडिट्स का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है |

7.10. **रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट्स** -रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमस्टर में विद्यार्थी को तीन क्रेडिट्स अर्थात प्रति वर्ष छह क्रेडिट्स अर्जित करने होंगे | विद्यार्थी इससे अधिक क्रेडिट्स वाले रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का भी चुनाव कर सकता है ,परन्तु सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में एक वर्ष में छह व दो वर्षों में 12 क्रेडिट्स का ही उपयोग किया जायेगा |

8. परीक्षा व्यवस्था

8.1. सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंको के लिए सतत आंतरिक मूल्याङ्कन तथा 75 अंको के लिए बाह्य मूल्याङ्कन पर आधारित होगी |

8.2. 25 अंको का आतंरिक मूल्याङ्कन पाठ्यक्रम में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप असाइनमेंट, क्लास टेस्ट व अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर होगा, जिनका ब्यौरा सम्बंधित विभाग/महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रक्खा जायेगा |

8.3. अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम की आतंरिक व बाह्य दोनों परीक्षाएं बहु-विकल्पीय आधार पर होंगी तथा उत्तीर्ण प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा |

8.4. विद्यार्थी द्वारा अर्जित आतंरिक व बाह्य परीक्षाओं में कुल प्राप्तांक को जोड़कर, विश्वविद्यालय द्वारा निम्न क्रेडिट एवं फार्मूला के आधार पर परसेंटाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर लिया जायेगा-

GRADE	विवरण	अंको की सीमा		ग्रेड पॉइंट
O	OUTSTANDING	91-100		10
A+	EXCELLENT	81-90		9
A	VERY GOOD	71-80		8
B+	GOOD	61-70		7
B	ABOVE AVERAGE	51-60		6
C	AVERAGE	41-50		5
P	PASS	33-40	(स्नातक स्तर के लिए)	4
		Absolute 40	(स्नातकोत्तर स्तर के लिए)	

AB	ABSENT		**0**
F	FAIL	0-32 (स्नातक स्तर के लिए) 0-39 (स्नातकोत्तर स्तर के लिए)	**0**
Q	QUALIFIED	For Non-Gradable Courses	**0**
NQ	NOT QUALIFIED	For Non-Gradable Courses	**0**

8.5. रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का मूल्याङ्कन 100 अंको में से महाविद्यालय तथा ट्रेनिंग/इंटरशिप/स्किल पार्टनर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा जिसमे उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे | यहाँ प्रशिक्षण / प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन 60 अंको का तथा थ्योरी मूल्याङ्कन 40 अंको का होगा , दोनों को मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे |

8.6. SGPA एवं CGPA की गणना इस प्रकार की जाएगी-

FOR J-th SEMSTER- SGPA (Sj) $= \Sigma(Ci\ xGi)\ /\ \Sigma Ci$	Where Ci =Number of Credits of the i-th course in j-th Semester Gi = Grade Points scored by the student for i-th course in j-th Semster
CGPA = $\Sigma(Cj\ xSj)\ /\ \Sigma Cj$	Where Sj = SGPA for the j-th Semster Cj =Total number of Credits of j-th Semster

8.7. **CGPAकी प्रतिशत अंको में गणना** - समतुल्य प्रतिशत = CGPA X 9.5

8.8. **श्रेणी वर्गीकरण की व्यवस्था -**

- प्रथम श्रेणी - CGPA 6.5 से अधिक
- द्वितीय श्रेणी - CGPA 5.0 से अधिक तथा 6.5 से कम
- तृतीय श्रेणी - CGPA 4.0 से अधिक तथा 5.0 से कम

9. उपस्थिति व क्रेडिट वेलिडेशन

9.1. क्रेडिट्स वेलिडेशन (अर्जित क्रेडिट्स) के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा | न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करके ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात् ही क्रेडिट्स अर्जित होंगे अर्थात परीक्षा के बिना क्रेडिट्स अपूर्ण रहेंगे |

9.2. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी |

9.3. यदि विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा आयोजित आतंरिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसे आतंरिक परीक्षा में शून्य अंक आवंटित किये जायेंगे | इस स्थिति में विद्यार्थी को, उत्तीर्ण होने के लिए कुल पूर्णांक 100 के स्नातक स्तर पर न्यूनतम 33 प्रतिशत या स्नातकोत्तर स्तर पर 40 प्रतिशत प्राप्तांक, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाह्य परीक्षा में प्राप्त करने होंगे |

9.4. यदि कोई छात्र उपस्थिति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाह्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारणवश आतंरिक परीक्षा में तो सम्मिलित होता है परन्तु बाह्य परीक्षा नहीं दे पाता अथवा फेल हो जाता है, तो विद्यार्थी का आगामी वर्षों में महाविद्यालय की आतंरिक परीक्षा में सम्मिलित होना वैकल्पिक है, उसके आतंरिक परीक्षा के वही अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित कर, बाह्य परीक्षा के अंको में जोड़ दिया जायेगा |
स्नातक स्तर पर बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 25 अंक तथा कुल परीक्षा में (आतंरिक व बाह्य परीक्षा के अंको को जोड़ कर) 33 अंक प्राप्त करने पर , तथा परास्नातक स्तर (उच्च शिक्षा के चतुर्थ, पंचम व षष्ठम वर्ष) में बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 30 अंक तथा कुल परीक्षा में (आतंरिक व बाह्य परीक्षा के अंको को जोड़ कर) 40 अंक प्राप्त करने पर, विद्यार्थी उस विषय में उत्तीर्ण होकर, उसके निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर सकता है |

उत्तर प्रदेश शासन जारी शासनादेशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा, इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं तथा अन्य कोई बिंदु जो यहाँ उल्लिखित नहीं है, उसका स्पष्टीकरण भी समय समय पर जारी शासनादेशों के ही अधीन रहेगा |

डॉ. कमल सिंह यादव सदस्य	डॉ. मोनिका सदस्य	प्रो. शुभनेश कुमार गोयल समन्वयक	डॉ. हरेंद्र कुमार सदस्य	डॉ. अजय कुमार सदस्य